

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प01/2008/140

दिनांक- 17/09/08

-: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. रूचि सिंह श्री कृष्ण वर्मा, बी-35, ज्योति मार्ग, बापूनगर, जयपुर (राज.) 302015	3	22-08-77	Gen-F	प्रा0स्वा0केन्द्र रारह (भरतपुर)
2.	डा. योगेश कुमार ढण्ड न्यापा बाजार, लक्ष्मणगढ, सीकर (राज.) 332311	30	20-10-74	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र सालासर (चुरु)
3.	डा. जसवन्त सिंह चौधरी ग्राम ठीकरिया, पोस्ट सुरेली, तह0 उनियारा, जिला टोंक (राज.)	51	12-12-80	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र दूनी (टोंक)
4.	डा. संदीप अरोडा पुत्र श्री प्रकाश अरोडा, प्रकाश सदन, कैनरा बैंक के सामने, अलवर (राज.) 301001	52	30-06-81	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र लुनावा (पाली)
5.	डा. विकास कुमार शर्मा 43, सोनी कॉलोनी, भोमिया नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाडा, जयपुर (राज.) 302012	54	08-11-81	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र मंडलाचारण (चित्तौडगढ)
6.	डा. अनुराग लोहमरोड, बी-108, तुलसी मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर - 302021	102	22-10-81	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र घुमडवाली (श्रीगंगानगर)
7.	डा. कैलाश बाबू गर्ग 4429, सारण नगर, अजमेर रोड, जोधपुर	104	21-06-82	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बसईनवाब (धोलपुर)
8.	डा. रामचन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री मनफूलाराम बिश्नोई, चम्पेश्वर चौक, वार्ड नं. 8, नोखा, बीकानेर-334803	121	01-02-81	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र कुदसू (बीकानेर)

१

9.	डा. सोहन लाल यादव, ग्रा. पो. मानपुरा माचेडी, वाया मोरीजा, जयपुर-303805	167	01-11-81	OBC-M	सामु0स्वा0केन्द्र सावर (अजमेर)
10.	डा. रूचि अग्रवाल, ए-239, महेश नगर, जयपुर-302015	168	16-05-82	Gen-F	सामु0स्वा0केन्द्र गनोडा (बांसवाडा)
11.	डा. मनिषा, द्वारा बुद्धराम चौधरी, पुष्करणा बगीची के पास, पटेल नगर, मेडता सिटी, नागौर-341510	185	30-11-80	OBC-F	सामु0स्वा0केन्द्र सेमारी (उदयपुर)
12.	डा. पूनम यादव, पुत्री श्री लालसिंह यादव, बासडा रोड, किशनगढ बास, अलवर - 301405	193	21-01-83	OBC-F	सामु0स्वा0केन्द्र भिवाडी (अलवर)
13.	डा. कैलाश कुमार सामरिया, पुत्र श्री नाथूराम सामरिया, ग्रा. पो. अलसीसर, झुन्झुनू	203	25-05-80	SC-M	सामु0स्वा0केन्द्र काछोला (भीलवाडा)
14.	डा. पुष्पलता महोलिया, पुत्री श्री दुर्गालाल महोलिया, ई-223, बैंक कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर-302013	213	23-07-83	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र टाटोटी (अजमेर)
15.	डा. उमा शंकर मीणा, पुत्र श्री सुखराम मीणा, ग्राम खिरखडी, पोस्ट झनून, तह0 बाँली, सवाईमाधोपुर	215	12-08-79	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र मुडिया (भरतपुर)
16.	डा. अतुल वर्मा, III / 180, ए.जी. कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर-302015	224	13-04-79	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र सराना (अजमेर)
17.	डा. सुरेन्द्र पाल मौर्य, ग्रा. पो. हिंगोनिया, वाया जोबनेर, जयपुर-303328	226	21-07-79	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र ढाढण (सीकर)
18.	डा. मनीष मीणा, पुत्र श्री जलधारी मीणा, ग्रा. पो. हुडला, तह0 महवा, दौसा-321608	229	18-08-81	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बरार (राजसमन्द)
19.	डा. गोविन्द कुमार यादव, ग्रा. पो. सलावरियां, तह0 बिजोलिया, भीलवाडा-311602	233	15-10-76	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र सवाईपुर (भीलवाडा)
20.	डा. रेणु वर्मा, पुत्री श्री एम.एल. वर्मा, यू-4, प्रवण विहार, सेक्टर-9, रोहिणी वेस्ट, नई दिल्ली	240	10-07-81	SC-F	सामु0स्वा0केन्द्र कुशालपुरा (पाली)
21.	डा. जयप्रकाश साटीवाल, 22 बी श्रीराम नगर कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर	243	04-06-75	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र सुथडी (जालौर)

22.	डा. सत्यप्रकाश खत्री, पुत्र श्री श्याम सुन्दर खत्री, खैरपुर भवन के पास, कमला कॉलोनी, बीकानेर-334001	250	30-01-79	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र कल्याणपुरा (बाडमेर)
-----	---	-----	----------	-------	---------------------------------------

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22-क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्येधीन है। दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अस्थायी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अस्थायियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में बचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अस्थायी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दरतावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।